न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 62/2021–22

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
05/10/21		

आवेदिका बुधनी देवी पति बालचंद राम, ग्राम– पोजेंगा, थाना – पालकोट, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i) B के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना संख्या	संख्या खाता	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)	किस्म जमीन
पोजेंगा	47	50	2029	1.06 एकड़ में से 0.41 एकड़ भूमि	टांड़ II

कुल 0.41 (एकतालिस)डिसमिल।

प्लॉट सं0 2029 काचौहदी :– उत्तर में – मकान बुधराम केवट, दक्षिण में – रास्ता, पूरब में – मकान अनिता देवी, पश्चिम में – बड़ालाल गोबिंद नाथ साहदेव

जमीन विक्रेता की विवरणी

आवेदिका – बुधनी देवी पति बालचंद राम, ग्राम– पोजेंगा, थाना – पालकोट, जिला– गुमला

जमीन क्रेता की विवरणी

क्रेता – बालो राम केवट, पिता स्व0 मंजीत राम केवट, ग्राम ~~मालकोट~~ पोजेंगा जाति केवट, थाना पालकोट, जिला– गुमला।

आवेदक उक्त भूमि को प्रस्तावित **क्रेता** बालो राम केवट, पिता स्व0 मंजीत राम केवट, ग्राम ~~मालकोट~~ पोजेंगा जाति केवट, थाना पालकोट जिला– गुमला को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रूपये 1,50,000(एक लाख पचास हजार)रू0 की आवश्यकता पड़ने पर भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, पालकोट को आवेदन भेजते हुए जॉच

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, पालकोट के कार्यालय के पत्रांकः–528(ii)रा0 दिनांकः– 01/10/2021 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ती दर्ज नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी पट्टा से खरीदगी जमीन है एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष पिछड़ी जाति समुदाय के अन्तर्गत दोनो एक जाति केवट के है दोनो एक जिला एवं एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, पालकोट के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त विवरण की भूमि को आवेदिका बुधनी देवी पति बालचंद राम, ग्राम– पोजेंगा, थाना – पालकोट, जिला– गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i) B के अन्तर्गत एतत् द्वारा ......स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता बसिया (गुमला)	भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता बसिया (गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.16 14:33:06 +05:30
Location: 192.168.1.10